



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230458
CG-DL-E-16102021-230458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]
No. 471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओरगनिक/अधिसूचना-01/एफ.एस.एस.ए.आई-2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 के प्रारूप को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल सं. स्टैंडर्ड्स/ओरगनिक/अधिसूचना-01/एफ.एस.एस.ए.आई-2019, तारीख 27 अगस्त, 2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 सितम्बर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 है।
(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबारी इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन तारीख 1 मई, 2022 से करेंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 में, -
(i) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(3) संकलक या मध्यस्थ जो छोटे मूल उत्पादक या उत्पादक संगठन से जैविक खाद्य एकत्र करते हैं और इसे अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचते हैं, उन्हें उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट प्रणालियों के उपबंधों से छूट दी जाती है और वे ट्रेसबिलिटी के रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और उप विनियम (1) में उल्लिखित प्रणालियों में से किसी एक के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और इस तरह के उत्पाद पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जैविक लोगो नहीं लग सकेगा।”

- (ii) विनियम 5 के उप-विनियमन (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(3) पीजीएस-भारत के अधीन रूपांतरण उत्पादों को ‘पीजीएस-ग्रीन’ के रूप में लेबल किया जा सकता है और उन्हें ‘जैविक में रूपांतरण’ के रूप में भी लेबल किया जा सकता है और एनपीओपी के तहत रूपांतरण उत्पादों को ‘जैविक में रूपांतरण’ के रूप में लेबल किया जा सकता है और रूपांतरण के वर्ष का उल्लेख किया जाएगा और इस तरह के रूपांतरण उत्पाद पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जैविक लोगो नहीं लग सकेगा।”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./336/2021-22]

टिप्पण—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. सीपीबी/03/स्टैंडर्ड्स/एफएसएसएआई/2016, तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2021

F. No. Stds./Organic/Notification-01/FSSAI-2019.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Organic Foods) Amendment Regulations, 2020, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India vide File No. Stds/Organic/Notification-01/FSSAI-2019, dated the 27th August, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd September, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (3) of section 22 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017, namely: -

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Organic Foods) First Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st May, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulation, 2017, -

(i) in regulation 4, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) Aggregators or Intermediaries who collect organic food from small original producer or producer organization and sell it to the end consumer directly, are exempted from the provisions of the systems referred in sub-regulation (1) and they shall maintain records of traceability and comply with any of the provisions of the systems mentioned in sub-regulation (1) and organic food shall not carry Food Safety and Standard Authority of India's organic logo.”

(ii) in regulation 5, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) In-conversion products under PGS-India may be labelled as 'PGS-Green' and may also be labelled as 'In-conversion to organic' and the conversion products under NPOP may be labelled as 'In-conversion to organic' and shall mention the year of conversion and such in-conversion products shall not carry Food Safety and Standard Authority of India's organic logo.”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./336/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. CPB/03/Standards/FSSAI/2016, dated the 29th December, 2017.